रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 1976/वैसाख 10, 1898

No. 84] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 1976/VAISAKHA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
MAY 1976
GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th April 1976

SUBJECT :—*Imports through Air India/Indian Airlines during 1976-77.*

No. 33-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 61-ITC(PN)/75 dated the 4th July, 1975 regarding the facility given for imports through Air India/Indian Airlines against REP licences during 1975-76. Attention is also invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 92-ITC(PN)/75 dated the 11th September, 1975 wherein the facility was extended to actual user licences issued for import of raw materials/components/spares and import licences for capital goods/HEP, issued against free foreign exchange (General Currency Area) only.

2. It has been decided that the aforesaid facilities for imports through Air India/Indian Airlines, as per the terms and conditions contained in the aforesaid Public Notices, will continue to be available upto the 31st March, 1977.

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1976

विषय :— 1976–77 के दौरान एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइंस के माध्यम से आयात ।

सं० 33-आई टी सी (पी एन)/76.—1975–76 के दौरान आर ई पी लाइसेंसों के प्रति एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइंस के माध्यम से आयातों के लिए दी गई सुविधा के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 61–आई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 4 जुलाई, 1975 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 92–आई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 11 सितम्बर, 1975 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह सुविधा कच्ची सामग्री/संघटकों/फालतू पुर्जों के आयात के लिए जारी किए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों के लिए और केवल मुक्त विदेशी मुद्रा (सामान्य मुद्रा क्षेत्र) के प्रति पूंजीगत माल/भारी विद्युत परियोजनाओं के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए बढ़ाई गई थी ।

2. यह निश्चय किया गया है कि एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइंस के माध्यम से आयातों के लिए पूर्वोक्त सुविधाएं, पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचनाओं की शर्तों के अनुसार ही 31 मार्च, 1977 तक उपलब्ध कराई जाती रहेंगी ।

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976